डीजी परिपत्र संख्या - 13 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 24 ,2016

विषय : दबिश व तलाशी के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानी विषयक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि अपराधों में वांछित एवं अपराध कारित कर भागते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके छिपने के ठिकानों, सम्भावित स्थलों पर गिरफ्तारी हेतु दबिश व तलाशी की कार्यवाही की जाती है। कार्यवाही के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस दल पर अचानक हमला कर पुलिस पार्टी में संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को घायल कर देते हैं, ऐसी घटनाओं में पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी मारे भी गये हैं।

आप सहमत होगें कि पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की इस प्रकार की अकाल मृत्यु पुलिस परिवार के लिए अपूर्णनीय क्षति हैं। ऐसी घटनाओं से पुलिस के इकबाल व मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के हौसलें बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की घटित घटनाओं का गम्भीरता से विश्लेषण करें तो हम पायेगे कि हमारे रणकौशल(Tactics) तथा पुलिस व्यवसायिकता(Police Professionalism) में कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य रह गयी है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व में मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्या : 33/2013 दिनांक 05.07.2013 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये थें, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व निर्गत निर्देशों का अपेक्षित स्तर का अनुपालन नही किया जा रहा है। मै इस परिपत्र के माध्यम से पुनः आपका ध्यान दबिश, वाहन चेकिंग, व्यक्ति की तलाशी, नाका-बन्दी व अपराध कर भागने वाले अपराधियों का वाहन से पीछा कर गिरफ्तार करने के Tactics के सम्बन्ध में मुख्य बिन्दुओं पर आकर्षित करना चाहूँगा।

ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। उन्हे प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाये ताकि प्रत्येक आपरेशन के लिए मानसिक अनुकूलन (Mental Conditioning) तथा मानसिक तैयारी (Mental Prepration) हो सके। हमारा मस्तिष्क विषम परिस्थितियों में उसी तरह कार्य करता है जैसा कि हम उसे उन परिस्थितियों से आने से पहले तैयार करते हैं। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस कर्मी से सतर्कता/चौकन्नापन(Alertness), निर्णयाकता(Decisiveness), आक्रमकता(Aggressiveness), आत्मसंयम(Self-control), संकल्प (Determination), सूचना एवं अभिसूचना संकलन(Collection of Intelligence), सामान्य रण-कौशल(Basic Tactics) अपेक्षित हैं।

इस सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित दिशा-निर्देश अनुपालनार्थ पुनः प्रेषित किये जा रहे हैं :-

➢ **व्यक्ति की चेकिंग** - व्यक्ति की चेकिंग के लिए निम्नाकिंत बिन्दु पर ध्यान दिया जाये -

- यथासम्भव चेकिंग दो या दो से अधिक पुलिसकर्मी द्वारा की जाये तथा यह ध्यान रखा जाये कि तलाशी लेने वाले साथी को दूसरा साथी पूरी तरह से सुरक्षित रखे।
- संदिग्ध व्यक्ति की सामने से तलाशी नही लेनी चाहिए। तलाशी पीछे खड़े होकर ली जाये। आगे से तलाशी लेने में अपराधी द्वारा हमला किये जाने की सम्भावना बनी रहती है।
- तलाशी लेते समय संदिग्ध व्यक्ति को दोनो हाथ ऊपर खड़ें करने की हिदायत दी जाये तथा दोनो पैर इतने खुलवा दिये जाये ताकि उसका संतुलन अस्थिर रहे। उचित होगा कि उसे घुटने के बल पर बैठाया जाये ताकि किसी अनावश्यक हरकत करने पर उसे तुरन्त नियन्त्रित किया जा सकता है।
- संदिग्ध की तलाशी लेने से पहले त्वरित व प्राथमिक तलाशी ऑखों से कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम कमर की तलाशी लें क्योकि अधिकतर शस्त्र वही पर छुपाकर रखा जाता है। इसके साथ ही शरीर के महत्वपूर्ण स्थानों का तत्परता से तलाशी ली जाये।
- तलाशी के समय खुद को झुकाना नही चाहिए। झुकने से संदिग्ध व्यक्ति आपको गिरा सकता है। तलाशी लेते व्यक्त सुनिश्चित कर ले कि आप स्वयं असंतुलित न हो जाये।
- तलाशी लेने के बाद ही संदिग्ध व्यक्तियों से उनकी शिनाख्त व पहचान के सम्बन्ध में पूछताछ करनी चाहिए। किसी भी दशा में बिना तलाशी लिये पहचान के विभिन्न दस्तावेज नही देखने चाहिए।

➢ **मृतक की तलाशी** -

- आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में किसी अपराधी के मृत शरीर की तलाशी लेनी है तो उसकी कार्यवाही को भी अत्यन्त सावधानीपूर्वक करनी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह व्यक्ति प्रथम दृष्टया में मर चुका है।
- यदि मृतक अपनी पीठ के बल पड़ा है तो उसके सर की तरफ बैठकर उसकी सांस व नब्ज देखकर सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जीवित है अथवा मृत। इसी प्रकार यदि वह पेट के बल पड़ा है तो यह कार्यवाही उसके पीठ पर बैठकर की जाये।
- व्यक्ति यदि जिन्दा है तो उसकी पूरी तलाशी लेने के उपरान्त त्वरित गति से उसको उपचारार्थ चिकित्सालय भेजा जाये।
- यदि प्रथम दृष्टया में वह मृत प्रतीत होता है तो उसके शरीर की तलाशी लेनी चाहिए।
- यांदे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मृतक की तलाशी लेते वक्त ध्यान रखा जाये कि उसके शरीर को हिलाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उसके नीचे कोई Booby trap तो नही है।

➢ **वाहन चेकिंग** -

- सर्वप्रथम वाहन को रोकने के बाद ड्राइवर को वाहन से बाहर निकलने को कहा जाये तथा गाड़ी की चाभी को निकाल कर अपनी तरफ फेकने के लिए निर्देशित किया जाये। चेकिंग के समय तक चाभी पुलिसकर्मी अपने पास रखे।
- एक व्यक्ति की चेकिंग होने के बाद एक-एक कर अन्य व्यक्तियों की भी चेकिंग की जाये।
- हर व्यक्ति को चेकिंग के उपरान्त उससे आपकी तरफ पीठ कर व हाथ पीछे कर अलग-अलग खड़ा किया जाये और इन पर निगरानी रखी जाये।
- गाड़ी की डिग्गी को सावधानी पूर्वक चेक किया जाये। सम्भव है कि उसमें अवैध शस्त्र छिपाकर रखा गया हो।

- यदि वाहन में बीमार, वृद्ध एवं महिलाये हो तो उनकी चेकिंग शालीनता एवं सतर्कता से की जाये। महिलाओं के हैण्डबैग की चेकिंग महिला पुलिसकर्मी द्वारा अवश्य कर ली जाये।
- यदि चेकिंग रात्रि में करनी है तो सर्वप्रथम ड्राइवर को गाड़ी की हैड लाइट को बन्द करने के लिए निर्देशित करें तथा उसके उपरान्त ड्राइवर से वाहन की केबिन लाइट जलवाकर सतर्कता के साथ चेकिंग की कार्यवाही की जाये।

➢ वाहन का पीछा कर रोकने की तैयारी -

यदि किसी वाहन का पीछा कर रोकने की कार्यवाही करनी है तो निम्नांकित कार्यवाही की जाये :-

- साइरन का प्रयोग कर आगे वाले वाहन को रूकने का इशारा करें। शासनादेश के अनुसार सभी अधिकारियों एवं थानाध्यक्ष के वाहन पर साइरन लगाने का प्राविधान है।
- यदि साइरन बजाकर इशारा करने से वाहन नही रूकता है तो वाहन का पीछा करते रहना चाहिए तथा इस सम्बन्ध में जिला नियन्त्रण कक्ष/नगर नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से रास्ते में पड़ने वाले समस्त पुलिस मोबाइल व थाना चौकी को सूचित किया जाये कि वे बैरियर गिराकर अथवा अन्य किसी प्रकार से वाहन को सावधानीपूर्वक रूकवाने का प्रयास करें। यह कार्यवाही नाकेबन्दी के सिद्धान्त पर की जाये।
- यदि वाहन का ड्राइवर वाहन को रोकता है तो पुलिस वाहन को इस प्रकार से खड़ा कर रोका जाये कि पुलिसकर्मी तत्काल निकल उस वाहन को घेर सकें और उतरते वक्त वाहन में बैठे सभी व्यक्तियों पर स्पष्ट निगाह रखी जाये।

➢ नाकाबन्दी -

- नाकाबन्दी करते समय ध्यान में रखा जाये कि नाका ऐसे स्थान पर करें, जिसको दूर से देखकर अपराधी अपना वाहन मोड़कर भाग न सके।
- यह भी ध्यान रखा जाये कि नाके के दोनो तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए क्यूआरटी मय वाहन के मौजूद रहे जो कि इस वाहन को नाका तोड़कर भागने या नाका से पहले मुड़कर भागने का प्रयास विफल कर सके।
- नाके पर गाड़ी को रोकने पर सावधानी पूर्वक जैसा कि वाहन चेकिंग में दर्शाया गया है चेकिंग की जाये तथा कवर पार्टी अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रुफ जैकेट और मोर्चा(sand bag) का इस्तेमाल करें।

➢ दबिश -

- सावधानी के उपरोक्त दर्शाये गये विभिन्न बिन्दुओं को दबिश के दौरान ध्यान रखा जाये। दबिश देते समय सुनिश्चित कर लिया जाये कि दबिश टीम(Raid party) की सहायता के लिए कवर टीम अवश्य लगायी जाये। अपराधियों के भागने के स्थान पर रोकने की टीम(Stop party) भी जरूर रहे।
- घर में घुसने के समय घर के कक्ष के कोनों को तत्काल चेक कर लिया जाये क्योकि सम्भव है कि इन कोनों से पुलिस पार्टी पर अपराधी आक्रमण कर सकता है।
- जिस कमरे की तलाशी ली गयी हो उसमें बाहर से कुड़ी लगा दी जाये तथा एक स्टाफ कर्मी को सतर्क दृष्टि रखने के लिए छोड़ दिया जाये।
- रात्रि के समय दबिश के वक्त पर्याप्त मात्रा में हैवी डियूटी टार्च व पर्याप्त रोशनी वाले संसाधन का प्रयोग करना चाहिए।
- दबिश के समय बुलेटप्रुफ जैकेट, हैलेमेट व पटका अवश्य धारण किया जाये।

- दबिश के दौरान घर में मिले हर व्यक्ति को संदिग्ध माना जाये और उसकी तलाशी लेकर उसे अलग निगरानी में रखा जाये।
- दबिश की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त उस मोहल्ले/गॉव से निकलते समय कदापि लापरवाही न बरती जाये।
- दबिश में गयी पुलिस वाहन पर चालक को कदापि अकेला न छोड़ा जाये। वह आपरेशन कमाण्डर के सम्पर्क में रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहन बुलाया जा सके।

उपरोक्त दिशा-निर्देश इस परिप्रेक्ष्य में केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। इनके अलावा आप अपने जनपदों की आपराधिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अन्य आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतन्त्र हैं।

कृपया आप सभी अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों/ क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों की गोष्ठी कर इस परिपत्र में इंगित समस्त बिन्दुओं को भली-भॉति आत्मसात् करने एवं तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करें। इस परिपत्र की एक प्रति जनपद के समस्त थानाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दे कि वह इस सम्बन्ध में थानें पर नियुक्त समस्त कर्मियों को भली-भॉति अवगत करायेंगें तथा इसकी एक प्रति थाने के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगें।

भवदीय

24.2

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ
2. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।